रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269221
CG-DL-E-09012026-269221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947
No. 11] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 11(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूक्ष्म लघु और मध्यम ,उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सहायक निदेशक श्रेणी II (अर्थशास्त्र अन्वेषण), (श्रेणी 'ख' पद), भर्ती नियम, 2023 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायक निदेशक श्रेणी-।। (अर्थशास्त्र अन्वेषण) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-:** (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सहायक निदेशक श्रेणी-II (अर्थशास्त्र अन्वेषण), (श्रेणी 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएं आदि--** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रिक-्स में वेतन -स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक श्रेणी-II अर्थशास्त्र) (अन्वेषण	101* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (रुपए 44900-142400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:**आयु सीमा अवधारित करने की अंतिम तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; और लघु उद्योगों से संबंधित जांच या सर्वेक्षण और अनुसंधान के संचालन और मार्गदर्शन में दो वर्ष का अनुभव।	नहीं	दो वर्ष **टिप्पण:**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट	1. 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और 2. 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध की जाएँ सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में सक्षम प्राधिकारी या संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अपक्षित होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे अन्वेषक (अर्थशास्त्र अन्वेषक) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र विश्लेषण में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रो)न्नति पर विचार करने के लिए जिसमें (निम्नलिखित होंगे-: 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन),– अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य; और 3. उप निदेशक (प्रशासन) -सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) या संयुक्त विकास आयुक्त (प्रशासन),– अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य; और 3. उप निदेशक (प्रशासन) -सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा प्रदान की हो, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

[फा. सं. ए-12035/02/2022(पी एंड टी) (ई- 4020834)]

गौरव कटियार , निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Office of the Development Commissioner)

(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2026

G.S.R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Assistant Director Grade II (Economic Investigation), (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director Grade II (Economic

Investigation) in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Assistant Director Grade II (Economic Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in the Pay Matrix.-** The number of post, its classification, Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director Grade II (Economic Investigation).	101*(2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection.
Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-	Essential: (i) Masters Degree in Economics from a recognised university or institute; and (ii) two years experience in conducting and guiding investigation or surveys and research relating to small scale industries. Note 1: Qualifications are	No.	Two years for direct recruits. Note: The direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks	(a) Ninety five percent by direct recruitment; and (b) Five percent by promotion failing which by deputation.

limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		duration, as specified by the competent authority for completion of probation.	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Investigator (Economic Investigation) in Level-6 (Rs. 35400-112400) of the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in Economic Analysis from a recognised institute as specified by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of: 1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman; 2. Director or Joint Director - Member; and 3. Deputy Director (Administration) -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Development Commissioner or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman; 2. Director or Joint Director - Member; and 3. Deputy Director (Administration) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union territories: (A) (i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment in column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for		

appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed Fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12035/02/2022(P&T) (E-4020834)]
GAURAV KATIYAR, Dir. (Admin)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.09 14:02:43 +05'30'